न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द्र आर.ए.एस..

मैनुअल प्र.सं. : 26 / 2022
जीसीएमएस : 2022 / 405

01. रमेश कुमार पुत्र श्री पृथ्वीराज जाति जाट साकिन श्यामगढ़ तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
02. रेखा पत्नी श्री रमेश कुमार जाति जाट साकिन श्यामगढ़ तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
03. रमेश कुमार पुत्र श्री मोहनलाल जाति ब्राहाम्ण साकिन वार्ड नं. 3 रायसिंहनगर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
04. गोपीराम पुत्र श्री पुरखा राम जाति जाट साकिन ठाकरी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
05. चरणजीत कौर पत्नी स्व. श्री भूपेन्द्रसिंह जाति जटसिख साकिन वार्ड नं. 8 रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.। —:प्रार्थीगण

बनाम

1. पूर्ण सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह
2. गुलाब कौर पुत्री श्री हरी सिंह
3. सीबों पुत्री श्री हरी सिंह
4. अमरजीतसिंह पुत्र स्व. श्री मति बलवीरों पत्नी श्री दरबारासिंह
5. गुरजीत सिंह पुत्र स्व. श्री मति बलवीरों पत्नी श्री दरबारासिंह
6. परमजीत कौर पुत्री स्व. श्री मति बलवीरों पत्नी श्री दरबारासिंह
7. सुखप्रीत कौर पुत्री स्व. श्री मति बलवीरों पत्नी श्री दरबारासिंह
8. छिन्दकौर पुत्री श्री जंगीर सिंह
9. वीरपालकौर पुत्री श्री जंगीर सिंह
10. परमजीत कौर पुत्री श्री जंगीर सिंह
11. सीबों कौर पुत्री श्री जंगीर सिंह
12. परमजीत कौर पत्नी बाघ सिंह
13. गुरदीप सिंह पुत्र श्री बाघ सिंह
14. गुरदीप सिंह पुत्र श्री बाघ सिंह
15. सुमन पुत्री श्री बाघ सिंह जाति मजहबी निवासीयान 23 पीएस ए तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज..।
16. जगतारसिंह उर्फ अवतार सिंह पुत्र श्री गुरदयाल सिंह जाति जटसिख साकिन 23 पी.एस. ए. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर। —:अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

तारीख रजू:– 12.07.2022

उपस्थित अधिवक्ता:–

1. श्री गुरप्रताप सिंह प्रार्थीगण अधि.।
2. श्री महेन्द्रसिंह अधि. अप्रार्थी सं. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10,11, 12, ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.10 16:13:47 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक 06.06.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क की उपधारा (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हमारी भूमि चक 1 चक ठाकरी बी में एकल खाता संख्या 80 / 46 में पं.नं. 210 / 300 मु.नं. 36 के कि.नं. ता 25 की कुल खाता योग 6.325 है. बारानी कृषि भूमि आवेदक रमेश कुमार पुत्र श्री पृथ्वीराज की खातेदारी है। चक 45 पीएस के खाता संख्या 91 / 23 में पं.नं. 211 / 301 मु.नं. 14 के कि.नं. 17 ता 25 की

उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

Scanned with OKEN Scanner

कुल खाता योग 2.227 है. नहरी मय खाता कृषि भूमि आवेदक रमेशकुमार पुत्र श्री मो[illegible] इसी चक के खाता सं. 69/79 में प.न. 212[illegible] मु.न. 16[illegible] 16 ता 25 की कुल खाता योग 1.560 [illegible] आवेदक गोपीराम की खातेदारी भूमि है. च[illegible]एसए के खाता संख्या 30/72 में पं.नं. 208/295 मु.न. 22 की 1.265 है. व प.न. 212/303 मु.नं. 49 के कि. नं. 13/2 ता 19/1 की 1.582 है. कुल खाता योग 2.847 है. नहरी कृषि भूमि आवेदका चरणजीत कौर की खातेदारी है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की भूमि चक 23 पीएसए के खाता संख्या 109/101 के पं. नं. 211/303 के मु.नं. 50 के कि.नं. 1 में चालू रास्ता व इसी चक के खाता संख्या 64/56 के प.नं. 211/303 के मु.नं. 50 के कि.नं. 10 की 0.253 है. व 11/1 की 0.076 है. में चालू रास्ता व इसी चक के संयुक्त खाता 73/65 में पं.नं. 211/303 मु.नं. 50 के कि.नं. 11/2 की 0.177 है. व 20 की 0.253 है. व 21 की 0.127 है. में चालू रास्ता व चक 32 एनपी के एकल खाता संख्या 52/43 में पं.नं. 211/303 में मु.नं. 8 के कि.नं. 21 की 0.127 है. में चालू रास्ता आवेदकगण स्वीकृत करवाना चाहते है। अतः आवेदन मय हल्फनामा पेश कर निवेदन है कि आवेदन आवेदकगण स्वीकार फरमाया जाकर उनकी जोत में पहुंच के प्रयोजनार्थ अनावेदकगण गुलावकौर–सीबों व अनावेदकगण अमरजीत सिंह–गुरजीतसिंह–परमजीतकौर व सुखप्रीत कौर की मृतक माता बलवीरों की धृति वाके चक 23 पीएस ए के चक 23 पीएसए के खाता संख्या 109/101 के पं.नं. 211/303 के मु.नं. 50 के कि.नं. 1 में दो–दो बिस्वा यानि 0.025 है. पश्चिमी पासा एवं अनावेदकगण पूर्ण छिन्दकौर–परमजीतकौर–वीरपालकौर–सीबोकौर–बिन्द्रसिंह एवं अनावेदगण परमजीतकौर, गुरदीपसिंह व सुमन के मृतक पति/पिता बाघ सिंह के इसी चक व मुरब्बा के कि.नं. 10, 11/1, 11/2, 20, 21 व चक 32 एनपी के खाता संख्या 52/43 में पं.नं. 211/303 का कि.नं. 21 का आधा रकबा चक 23 पीएसए में स्थिति है के कि.नं. 21 में दो बिस्वा यानि 0.025 है. पश्चिमी पासा कुल 0.10 बिस्वा यानि 0.125 है. रास्ता स्वीकृत फरमाया जावे। आवेदकगण समूचित मुआवजा देने को तैयार

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण जरिये रजि. नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार रायसिंहनगर से मौका जांच रिपोर्ट हेतु पत्र जारी किया गया है। अप्रार्थी सं. 1, 3, 4, 8, 9 ता 12 की तरफ से श्री महेन्द्रसिंह अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया। कि चक 23 पीएस ए के मु.नं. 50 पं.नं. 211/303 के कि.नं. 1–10–11/1, 11/2, 20 व कि.नं. 21 के पश्चिम पासा में 2–2 बिस्वा रास्ता चालू हालत में होना स्वीकार नहीं है और न ही प्रार्थीगण इसे मंजूर करवाने के अधिकारी है और रास्ता की भूमि के बदले चिपता रकबा अप्रार्थीगण को दिया जाना चाहिए अप्रार्थीगण ने उजरात मजीद में प्रार्थीगण द्वारा चक 45 पीएस, 32 एनपी, ठाकरी की भूमि में जाने के लिए चक 23 पीएस ए की भूमि मु.नं. 50 में से रास्ता चाहा गया गया है जो किसी तरीके से उचित नहीं है। आवेदकगण को अपनी भूमि में जाने के लिए अन्य रास्ता उपलब्ध है तथा नक्शा व तहसीलदार रिपोर्ट में भी ऐसे तथ्य दर्ज किये गये है तथा आवेदकगण द्वारा भूमि के बदले मुआवजे के रूप में भूमि दिया जाना भी प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.10 16:13:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

26/22

किया गया है। इसके अलावा मु.नं. 49 जो कि आवेदक संख्या 5 चरणजीत कौर पत्नी भूपेन्द्र सिंह के नाम दर्ज है। उक्त भूमि का कि.नं. 15 व 16 चाहे गये रास्ता मु.नं. 50 से कि.नं. 11 व 20 के साथ बिलकूल चिपता है इसलिए कानूनन इन किला जात में रास्ता मंजूर नहीं किया जा सकता है। अन्य तथ्य वरवक्त बहस निवेदन किये जायेगें। अतः जवाब प्रार्थना पत्र 1 ता 4 व 8 ता 12 की ओर से पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जावे। आपकी अति कृपा होगी।

3. तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2024/824 दिनांक 12.05.2024 से अवगत करवाया है कि मुताबिक रिपोर्ट वादी के नाम चक 23 पीएसए के खाता संख 30 पं.नं. 212/303 मु.नं. 49 कि. नं. 13/2 ता 19/1 रकबा 1.582 है. नहरी भूमि चरणजीत कौर पत्नी भूपेन्द्र सिंह जाति जटसिख के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। प्रतिवादी क`नाम चक 23 पीएसए खाता सं. 109 पं.नं. 211/303 मु.नं. 50 कि. नं. 1 ता 5/1 कुल 1.050है. रकबा नहरी गुलाबकौर–बलवीरां–सिब्बों पुत्रियां हरिसिंह जाति मजहबी साकिन देहन व खाता संख्या 60 पं.नं. 211/303 मु.नं. 50 कि.नं. 9/2 ता 11/1 रकबा 0.525 है. नहरी पूर्णसिंह पुत्र करनैलसिंह जाति हरिजन साकिन देह व खाता संख्या 73 पं.नं. 211/303 मु.नं. 50 कि.नं. 11/2 ता 13–19 ता 21 कुल 1.063 है. नहरी छिन्द्रकौर–परमजीतकौर–बागसिंह–बिन्द्रसिंह– वीरपालकौर–सिब्बोंकौर पि. जंगीरसिंह जाति मजहबी साकिन दे हके नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है व चक 32 एनपी के पं.नं. 211/303 मु.नं. 8 कि.नं. 5 ता 7–13 ता 19–21 कुल 3.137 है. नहरी भूमि जगतारसिंह उर्फ अवतारसिंह पुत्र गुरदयालसिंह जाति जटसिख साकिन देह के नाम से खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। वादी रमेश कुमार व चरणजीतकौर आदि द्वारा चक 32 पीएस ए मु.नं. 50 के कि.नं. 1–10–11–20–21 व चक 32 एनपी मु.नं. 8 कि.नं. 21 में 2–2 बिस्वा रास्ता की मांग खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु की है जिसके संबंध में मौका पर प्रतिवादी गण द्वारा रास्ता की ऐवज में चिपती भूमि की मांग की है प्रतिवादीगण सीमान्त कृषक है। वादी के खेत में आवागमन हेतु कोई स्वीकृत शुद्वा रास्ता नहीं है ना ही कोई वैकल्पिक रास्ता है अतः वादी की मांग अनुसार चक 23 पीएसए मु.नं. 50 के कि.नं. 1/0.025, 10/0.025, 11/0.025, 20/0.025, 21/0.024, व चक 32 एनपी मु.नं. 8 के कि. नं. 21/0.001 है. भूमि की ऐवज में भूमि देकर रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत होता है।

4. बहस वकील उभयपक्ष की सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराया चाहा गया रास्ता [illegible] किये जाने हेतु निवेदन किया। रास्ते में आने वाली भूमि [illegible] बदले [illegible] सरकार द्वारा निर्धारित राशि का [illegible] हेतु तैयार है [illegible] अधिवक्ता ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को [illegible] कथन किया कि अगर प्रार्थी को अपनी जोत में आने-जाने के लिए कोई अन्य रास्ता नहीं है तो अप्रार्थी रास्ते में आने वाली भूमि [illegible] बदले प्रार्थी से चिपती भूमि दिलाई जावे। अन्यथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.10 16:13:47 IST
Reason: SelfAttested

5. हमने विद्‌वान अधिवक्तागण की बहस सुनकर व समझकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट,

उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

2/22

भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन किया तथा विधिक प्रावधानों पर मनन किया। भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के पास अपनी जोत में आने-जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है इसलिए प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते को स्वीकृत करने की अनुशंषा भी गई है चाहा गया रास्ता आत्यन्तिक आवश्यकता की श्रेणी में है। प्रार्थी के पास इसके अलावा अपनी जोत में आने-जाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 251 क आरटीएक्ट के तहत स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

<u>-:आदेश:-</u>

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बखूबी सावित होने से स्वीकार किया जाकर चक 23 पीएसए मु.नं. 50 के कि.नं. 1/0.025, 10/0.025, 11/0.025, 20/0.025, 21/0.024, व चक 32 एनपी मु.नं. 8 के कि.नं. 21/0.001 है. कुल 0.125 है. <u>रास्ता गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश किए जाते है।</u> अतः तहसीलदार रायसिंहनगर उक्त रास्ते में आने वाली भूमि के बदले प्रार्थीगण से नवीनतम डीएलसी दर की दुगुनी राशि जमा करवाये। इस के उपरान्त ही गैरमुमकिन रास्ता कायम करे एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाया जाकर रास्ता चालू करवाये। ऐसा आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

निर्णय आज दिनांक 06.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.10 15:13:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner